

गेहूँ और चावल के लिये ओपन मार्केट सेल स्कीम

प्रलिस के लिये:

[भारतीय खाद्य नगिम](#), [ओपन मार्केट सेल स्कीम](#), [गेहूँ](#), [चावल](#)

मेन्स के लिये:

खाद्यान्न आपूर्तिबिद्वाने में OMSS की भूमिका, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में भारतीय खाद्य नगिम (FCI) की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय खाद्य नगिम \(FCI\)](#) द्वारा मात्रा प्रतबिंध लगाने और [ओपन मार्केट सेल स्कीम \(OMSS\)](#) में राज्यों की भागीदारी से इनकार की प्रतिक्रिया में राज्य [गेहूँ](#) तथा [चावल](#) खरीदने के वैकल्पिक तरीकों पर वचार कर रहे हैं।

ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS):

- **परचिय:**
 - OMSS, FCI द्वारा **खुले बाज़ार में केंद्रीय पूल से अधशेष खाद्यान्न**, मुख्य रूप से **गेहूँ और चावल की बकिरी** की सुवधा के लिये कार्यान्वति एक कार्यक्रम है।
- **प्रयोजन और उद्देश्य:**
 - **बुआई और कटाई के बीच के मौसम के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि करना।**
 - **ओपन मार्केट की कीमतें और मुद्रास्फीता पर नरितरण करना।**
 - घाटे वाले क्षेत्रों में **खाद्य सुरक्षा** और अनाज की उपलब्धता सुनश्चिति करना।
 - केंद्रीय पूल से **अधशेष खाद्यान्न** की बकिरी की सुवधा प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन और प्रक्रिया:**
 - पूर्व-नरिधारति कीमतों पर नरिदष्टि मात्रा में खाद्यान्न खरीदने के लिये व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं और खुदरा शृंखलाओं के लिये FCI द्वारा ई-नीलामी आयोजति कया जाना।
 - राज्यों को राष्ट्रीय **खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 (NFSA)** के तहत वतिरण के लिये **OMSS** के माध्यम से अतरिकित खाद्यान्न खरीदने की अनुमत देना।
 - **नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX)** के प्लेटफॉर्म पर FCI, **OMSS** के लिये साप्ताहिक गेहूँ की नीलामी आयोजति करता है।
 - NCDEX भारत में एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो वभिन्नि कृषि और अन्य वस्तुओं में व्यापार के लिये एक मंच प्रदान करता है।

हाल के संशोधति OMSS प्रतबिंध:

- **संशोधति OMSS प्रतबिंध:**
 - OMSS में हाल ही में एक संशोधन कया गया है जिसमें एक बोलीदाता द्वारा एक ही बोली में खरीदी जा सकने वाली मात्रा को **सीमति करने** पर ध्यान केंद्रति कया गया है।
 - पूर्व में प्रतबोली अधिकतम अनुमत मात्रा **3,000 मीटरकि टन** थी। हालाँकि अब इसे घटाकर **10-100 मीटरकि टन** कर दिया गया है।
 - इस परविरतन का उद्देश्य छोटे तथा सीमांत खरीदारों को समायोजति करके व्यापक भागीदारी में वृद्धि करना है।
 - छोटे खरीदारों से प्रतसिपर्द्धी बोलियों को प्रोत्साहति करके संशोधति OMSS, खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने एवं अधिक समान स्तर का कार्यान्वयन क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है।
- **राज्यों को OMSS बकिरी बंद करना:**

- केंद्र ने OMSS के अंतर्गत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल तथा गेहूँ की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया है।
- इसके अतिरिक्त नज्दी बोलीदाताओं को अब अपनी OMSS आपूर्त राज्यों को बेचने की अनुमति नहीं है।
- इस निर्णय के पीछे तर्क मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के साथ केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक स्तर बनाए रखना है।
- यह सुनिश्चित कर खाद्य सुरक्षा दायित्वों को पूरा करना है, राज्यों को OMSS की बिक्री बंद करने का उद्देश्य खाद्यान्न के वितरण एवं आवंटन को सुव्यवस्थित करना है।

राज्यों की प्रतिक्रिया:

- कर्नाटक और तमिलनाडु ने केंद्र के फैसले की आलोचना की है।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिये मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम, अन्न भाग्य योजना के स्थान पर कर्नाटक सरकार ने अस्थायी रूप से लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण को लागू कर दिया है, सरकार ने बताया है कि उसके इस कदम का कारण बाजार में उचित मूल्य पर पर्याप्त चावल की अनुपलब्धता है।

भारतीय खाद्य नगिम:

- FCI वर्ष 1964 के खाद्य नगिम अधिनियम के तहत वर्ष 1965 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनाज, विशेषकर गेहूँ की भारी कमी की पृष्ठभूमि में की गई थी।
- FCI का कार्य भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करना है।
- खाद्यान्न की कमी अथवा संकट की स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये FCI खाद्यान्न का बफर स्टॉक भी रखता है।
- FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पूरे देश में खाद्यान्न वितरित करने हेतु भी उत्तरदायी है।
- अपने अधिशेष खाद्यान्न के निपटान के तरीकों में से एक के रूप में FCI ई-नीलामी का भी आयोजन करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते है जो 'गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)' श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखयिा होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ और दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छह महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतस्थापन भारत में सहायकियिों के परदृश्य का कसि प्रकार परविरतन कर सकता है? चर्चा कीजयि। (2015)

स्रोत: द हिंदू

